मु.नं.–13 / 2022 GCMS ID-2022/57 ता.रजु–27.04.2022

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री अंकित कुमार सिंह, आई.ए.एस.

रत्तीसिंह बेनीवाल निवासी बनबारीपुर तहसील श्रीमहावीरजी, जिला करौली राज.

– अपीलार्थी

**बनाम**

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौनसिटी – प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–05.05.2022

1. अपीलार्थी उपस्थित नहीं।
2. प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर ग्राम पंचायत गांवड़ी मीना, पंचायत समिति श्रीमहावीरजी जिला करौली राज. में प्रशासन गांवों के संग अभियान में हुए कार्यों की सूची राजस्व संबंधी चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील पेश की है।
4. प्रत्यर्थी ने पत्रांक न्याय / 2022 / 392 दिनांक 04.05.2022 से अवगत करवाया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में कोई आवेदन पत्र आदिनांक तक उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। उक्त अपील में प्रत्यर्थी को अनावश्यक पक्षकार बनाया गया है। अंत में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अवगत करवाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। परंतु प्रत्यर्थी को जारी नोटिस के साथ अपीलार्थी के आवेदन पत्र की प्रति प्रेषित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र क्रमांक सू.अ.अ. / 2022 / 892–893 दिनांक 13.01.2022 को प्रत्यर्थी को अंतरित किया गया था। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध भी प्रत्यर्थी के कार्यालय से है। अतः हम अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने बाबत् प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाना उचित समझते हैं।
7. अस्तु अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को आदेश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक अपीलार्थी को 15 दिवस में प्रेषित करें।
8. निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 05.05.2022 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंकित कुमार सिंह)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली